

प्रेषक,

आरोहणमिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संयोग में,

चुप्पताचिद,
वैर बडाउर सिंह पूर्णिमा विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-८

विषय - महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्थीरता।

मठोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रकार-प्र०विणि०/सन्ध०/०१.३०(ए०)/२००७/२२१४, दिनांक ३१.१०.२००७ के सदर्न में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश दुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (विधासंसोधित १९९०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा-३७(२) के अधीन श्री रम्यपाल श्री कमलनाथ सिंह मठाविद्यालय, बरोडी, फरोहपुर, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, पूर्णाल, राजनीतिशास्त्र, गृह विज्ञान एवं गोपी विषयों में स्वित्तरप्रोत्तियोगिता और जागरूकता निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००७ से सम्बद्धता की स्थीरता प्रदान करते हैं-

१. तथा शासनादेश सं०-२८५१/सत्र-२-२००३-१०(११)/२००२, दिनांक ०२ जुलाई २००३ में उत्तिलिखित दिरा-निर्देशों एवं इस विषय में सम्बन्ध-समाय पर दिर्यात शासनादेशों का पालन करेगी।
२. पदि सख्त द्वारा विश्वविद्यालय श्री परिणियमाली/अधिनियम में वर्णित दत्ता शक्ति एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं भानकों की पूर्णता तथा उनकी निस्तरता को तुलित कर्त्ता किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश सभ्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के सुसंलग्न प्राविधिकों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता द्वारा तिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आरोहणमिश्र)
अनु सचिव।

लाल्या-4479(1) / सत्र-८-२००७, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. प्रिदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
२. संत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
३. प्रबन्धक, श्री कमलनाथ सिंह महाविद्यालय, बरोडी, फरोहपुर, आजमगढ़।
४. मिजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
५. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आरोहणमिश्र)
अनु सचिव।

प्र०विणि०
श्री कमलनाथ रिंह महाविद्यालय
बरोडी फरोहपुर-आजमगढ़


प्र०विणि०
श्री कमलनाथ रिंह महाविद्यालय
बरोडी फरोहपुर-आजमगढ़